

परचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 126/2025

1 रानी पत्नी जुकर हुसैन जाति छिम्पा (छीपी) निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़

वादीया

बनाम्

1. यासीन पुत्र गनी मोहम्मद जाति छिम्पा (छीपी) निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
2. मोनू खान } पुत्रगण स्व० जुकर हुसैन जाति छिम्पा (छीपी) निवासीयान
3. कालू खान } सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. यासमीन बानो पुत्री गनी मोहम्मद पत्नी सलीम खान जाति छिम्पा (छीपी) निवासी
हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक 20.11.25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीत सिंह अंतिम
निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर
घोषणा की जाती है कि (क) वादीया रानी को प्राप्त आराजी :- चक नं० 8 एस.बी.
एन के प०न० 199/208 मु० 57 किलानं० 19,20/0.506 है०
(ख) प्रतिवादी यासीन को प्राप्त आराजी :- चक नं० 8 एस.बी.एन के प०न० 199/208
मु० 57 किलानं० 21,22/0.506 है० इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर चक
न० 8 एसबीएन के खाता सं० 35/30 में से जुकर हुसैन व यासमीन बानों का नाम
कलमजन किया वादीया का खाता प्रतिवादी से तकसीम कर रकमराज अलग कायम
की जावेतहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि
बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही
हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान
अपना अपना वहन करे।

यह परचा डिक्री आज दिनांक 20.11.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा
से जारी की गई।

25